

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज्ञ अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी

बनाम

प्रविवादीगण

मदनलाल

भंवरलाल वगैरह

कस प्रकारण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.-275/2014

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिषिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
20.11.14	<p>वादी ने जरिये अभिभाषक वाद पत्र अधीन धारा 53,88 व 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वादी का वाद पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।</p> <p>4</p>	

पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।

19/12/14

पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।

9/3/15

वन्दुलाय उप। प्रतिवादी ल 16 का सम्मन वाद तालील पत्रावली पर उपलब्ध है जो गेट हाकिम हीसके विरुद्ध रुक-रुक कर प्रतिवादी अल्ल में लायी जाती है शेष के सम्मन तालील परफिट नही है पुनः सम्मन तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 14/5/15 को पेश हो।

4

पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।

14/5/15

पुनः सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 19.12.2014 को पेश हो।

<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम में जाते</p>
-----------------------	-------------------------------------	--

22⁰⁴/₂₁

अकार/पक्षकारान के अविबक्तः
 गैठसोन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकल्प उनके समक्ष दिनांक 19-05-21 को प्रस्तुत करें।

19⁰⁵/₂₁

अकार/पक्षकारान के अविबक्तः
 गैठसोन अधिकारी जी मिटिंग में/अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकल्प उनके समक्ष दिनांक 23/6/2014 को प्रस्तुत करें।

23/6/2014 :- पञ्जावली पैरा हुई। वकुलाम उम्रण कावाजे लगवाई गई। परन्तु वहील वादी व वहील प्रसिवादी को कावाजे लगवाई गई। परन्तु गैर हाजिर रहे। अतः वहील वादी का वाद अफ्न हाजरी व कल्प पैरवी में खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर शायिल नम्बर है।